रजिस्टर्ड नं0 एल0-33/एस0 एम0 14/91.

हिमाचल प्रदेश

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, मंगलवार, 12 मार्च, 1991/21 फाल्गुन, 1912

हिमाचल प्रदेश सरकार

हिमाचल प्रदेश विधान सभा, सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-4, 11 मार्च, 1991

संख्या 1-11/91-वि0स0.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 135 के अन्तर्गत, हिमाचल विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) (संशोधन) विधेयक, 1991

(1991 का विधेयक संख्यांक 5) जो दिनांक 11-3-1991 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो गया है, सर्व साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

लक्ष्मण सिंह,
सचिव।

1991 का विधेयक संख्यांक 5.

हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) (संशोधन) विधेयक, 1991

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) अधिनियम, 1971 (1971 का 8) का और संशोधन करने के लिए विधेयक ।

भारत गणराज्य के बयालीसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) (संशोधन) अधिनियम, 1991 है ।

(2) यह सन् 1985 के मई के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

धारा 4-घ का संशोधन ।

1971 का 8

2. हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) अधिनियम, 1971 की धारा 4-घ की उप-धारा (2) में,—

(क) "ऐसे सदस्य के रूप में उसकी पदावधि के दौरान" शब्दों का विलोप किया जाएगा ; और

(ख) उसके विद्यमान स्पष्टीकरण को स्पष्टीकरण-I के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और ऐसे संख्यांकित स्पष्टीकरण-I के पश्चात् निम्नलिखित नया स्पष्टीकरण-II जोड़ा जाएगा, अर्थात्:—

"**स्पष्टीकरण-II**—इस उप-धारा के प्रयोजन के लिए "सदस्य" शब्द से विधान सभा का भूतपूर्व सदस्य भी अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत है ।"

उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) अधिनियम, 1971 की धारा 4-ब के अधीन विधान सभा के सदस्य, बने बनाए गृह का क्रय करने या गृह के निर्माण के लिए प्रतिसंदेय ऋण की सुविधा प्राप्त करने के लिए पात्र हैं । वर्तमान सदस्य की मृत्यु होने की दशा में यदि राज्यपाल का यह समाधान हो जाता है कि मृतक के कुटुम्ब की आर्थिक स्थिति ऐसी है कि अग्रिम के रूप में दी गई राशि का मृतक के कुटुम्ब द्वारा प्रतिसंदाय नहीं किया जा सकता है तो ऐसे अग्रिम की राशि या उसके किसी भाग को जो अग्रिम अनुदान के निबंधनों और शर्तों के अनुसार उसकी मृत्यु के पश्चात् ब्याज सहित प्रोदभूत हुआ हो, राज्यपाल की मंजूरी से अपलिखित किया जाता है ।

राज्य सरकार के समक्ष कुछ एक ऐसे मामले भी आए हैं जहां पर विधान सभा के कुछ सदस्यों ने अपनी पदावधि के दौरान गृह भवन अग्रिम प्राप्त किया था किन्तु ऐसे ऋण को लौटाने से पूर्व ही उनकी मृत्यु हो गई और उनके शोकसंतप्त कुटुम्बों की आर्थिक स्थिति ऐसी है कि उन द्वारा ऋण का प्रतिसंदाय नहीं किया जा सका। मृतक भूतपूर्व विधान सभा के सदस्यों के शोकसंतप्त कुटुम्बों की वित्तीय कठिनाई को दूर करने के लिए, गृह भवन अग्रिम की बकाया राशि को अपलिखित करने के लिए पूर्वोक्त अधिनियम में संशोधन करना आवश्यक हो गया है ।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए है ।

शान्ता कुमार,
मुख्य मन्त्री ।

शिमला :
मार्च 11, 1991.

वित्तीय ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक के खण्ड 2 में विधान सभा के उन भूतपूर्व सदस्यों के, जिन्होंने अपनी पदावधि के दौरान गृह भवन अग्रिम ले रखा था किन्तु इस ऋण के प्रतिसंदाय से पूर्व ही उनकी मृत्यु हो गई और उनके संतप्त परिवारों की आर्थिक स्थिति ऐसी है कि यह ऋण वापस नहीं किया जा सकता है ऐसे अग्रिम को अपलिखित करने का उपबन्ध किया जा रहा है । ऐसे ऋण को अपलिखित करने से राज्य कोष पर व्यय का बोझ पड़ेगा किन्तु प्रत्याशित व्यय का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है ।

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

शून्य

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिश

[सामान्य प्रशासन विभाग नस्ति संख्या जी0 ए0 डी0-(पी ए)-4(डी)-13/88]

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) (संशोधन) विधेयक, 1991 की विषयवस्तु के बारे में सूचित किए जाने के पश्चात्, भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन, विधेयक को विधान सभा में पुरःस्थापित करने और उस पर विचार करने की सिफारिश करते हैं ।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 5 of 1991.

THE HIMACHAL PRADESH LEGISLATIVE ASSEMBLY (ALLOWANCES AND PENSION OF MEMBERS) (AMENDMENT) BILL, 1991

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATVIE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Act, 1971 (Act No. 8 of 1971).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Forty-second Year of the Republic of India as follows:—

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) (Amendment) Act, 1991.

(2) It shall be deemed to have come into force on the 1st day of May, 1985.

Amendment of section 4-D.

8 of 1971.

2. In section 4-D of the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Act, 1971, in sub-section (2),—

(*a*) the words "during his term as such members" shall be deleted; and

(*b*) the existing Explanation shall be numbered as Explanation-I and after Explanation-I as so numbered, the following new Explanation-II shall be added, namely:—

"*Explanation* II.—For the purpose of this sub-section, the expression "member" shall also mean and include the *ex*-members of the Assembly."

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Under section 4-D of the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Act, 1971, the members of the State Legislative Assembly are eligible to avail themselves of the facility of repayable loan for the purchase of a built-up house or for the construction of a house. In the event of the death of a sitting member, the amount of such advance or any part thereof which would have accrued after his death in accordance with the terms and conditions of the grant of the advance along with interest thereon is written off with the sanction of the Governor, if the Governor is satisfied that the pecun ary condition of the family of the deceased is such that the amount advanced cannot be repaid by the family of the deceased.

Instances have come to the notice of the State Government where some *ex*-members of the Legislative Assembly who during their term as Member had obtained a house building advance but before the repayment of such loan, died and the financial condition of their bereaved families are such that the loan could not be repaid by them. In order to mitigate the financial hardship to the bereaved families of the deceased *ex*-M.L.A's it has become necessary to make amendments in the aforesaid Act, to waive off the outstanding house building advance.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objective.

SHIMLA:
The 11th March, 1991.

SHANTA KUMAR,
Chief Minister.

FINANCIAL MEMORANDUM

Clause-2 of the proposed Bill seeks to waive off the out-tanding house building advance or an part thereof in case of an *ex*-member of the Legislative Assembly who during his term as Member had obtained a house building advance but before the repayment of such loan he died, and the financial condition of his bereaved family is such that the loan could not be repaid by him. The proposed benefit of waiving off the loan will involve an expenditure from the exchequer of the State, which cannot be anticipated.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

NIL

RECOMMENDATIONS OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE 207 OF THE CONSTITUTION OF INDIA

[General Administration Department File No. GAD-PA-4(D)-13/88]

The Governor of Himachal Pradesh, having been informed of the subject matter of the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) (Amendment) Bill, 1991, recommends under Article 207 of the Constitution of India, the introduction and consideration of the Bill in the Legislative Assembly.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।